

मेरठ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 23-2-82

समय : 10-30 बजे प्रातः

स्थान : कार्यालय आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ।

उपस्थिति :-

क्र०सं०	नाम	पद
1-	श्री आर.डी.सोनकर आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ।	चेयरमैन
2-	श्री शम्भू नाथ जिलाधिकारी, मेरठ।	उपाध्यक्ष
3-	श्री एन.एस.जौहरी सीनियर प्लानर मु०नगर एवं ग्राम नियोजक कार्या लखनऊ।	सदस्य
4-	श्री सी.डी. माधुर अधीक्षण अभियन्ता यू०पी.एस.ई.वी., मेरठ।	सदस्य
5-	श्री नवीन चन्द्र शर्मा प्रभारी अधिकारी नगरपालिका, मेरठ।	सदस्य
6-	श्री श्याम जी पाण्डेय संयुक्त सचिव वित्त विभाग, उ०प्र० शासन, लखनऊ।	सदस्य
7-	श्री गजेन्द्र सिंह अतिरिक्त निदेशक उद्योग विभाग, मेरठ।	सदस्य
8-	श्री जे.पी.गुप्ता अधीक्षण अभियन्ता जलनिगम, मेरठ।	सदस्य

उपर्युक्त के अतिरिक्त प्राधिकरण के निम्न अधिकारी भी बैठक में उपस्थित थे :-

- 1- श्री धमेन्द्र देव, सचिव, विकास प्राधिकरण, मेरठ ।
- 2- श्री एम.एम.श्रीवास्तव, उपसचिव, विकास प्राधिकरण, मेरठ ।
- 3- श्री चन्द्र किरण सिंह, वरिष्ठ लेखाधिकारी, विकास प्राधिकरण, मेरठ ।
- 4- श्री ओ०पी०सिंह, अधिशासी अभियन्ता, विकास प्राधिकरण, मेरठ ।
- 5- श्री भारत भूषण, वास्तुविद नियोजक, विकास प्राधिकरण, मेरठ ।
- 6- श्री जगेश कुमार, सहायक वास्तुविद, विकास प्राधिकरण, मेरठ ।

कार्यवाही का विवरण

मद संख्या -1

पिछली बैठक दिनांक 18-8-81 की कार्यवाही की पुष्टि
गत बैठक का कार्यवृत्त प्रस्तुत किया गया इस कार्यवृत्त की सर्वसम्मति से
पुष्टि की गयी ।

मद संख्या-2

पिछली बैठक दिनांक 18-8-81 के निर्णय पर की गयी
कार्यवाही ।

पिछली बैठक में लिये गये निर्णयों पर की गयी कार्यवाही के सम्बन्ध में
सचिव द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन पर विचार किया गया । विचार-विमर्श के उपरान्त
निम्नलिखित अभ्युक्तियाँ की गयी :-

(1) अनाधिकृत कालौनियों का नियमन

79 अनाधिकृत कालोनियों में से 65 का नियमन हो चुका है शेष 14
कालौनियों में से 5 कालोनियाँ शहरी सीलिंग कानून से सम्बद्ध भूमि पर विकसित

होने के कारण तथा 5 कालोनियाँ प्राधिकरण अथवा उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद द्वारा अर्जित भूमि पर विकसित होने के कारण तथा 4 कालोनियों में निर्माण कर्तई न होने के कारण इनका नियमन नहीं हो सकता। अतः इन कालोनियों के विकास के लिये जिम्मेदार भूस्वामी तथा भवन निर्माताओं के विरुद्ध यथोचित कार्यवाही की जाये।

(2) योजनाओं की प्रगति

(क) मोहनपुरी आवासीय योजना

अभी तक केवल गड्ढों की भराई की गयी है। भूमि का विकास कार्य अभी बहुत शेष है, जिसे शीघ्रतापूर्वक समाप्त किया जाये ताकि भूखण्डों के आबंटन में देरी न हो।

(ग) मोदीपुरम आवासीय योजना

वरिष्ठ नगर एवं ग्राम नियोजक श्री जौहरी ने बताया कि जो तलपट मानचित्र प्राधिकरण से प्राप्त हुआ था उसमें कुछ संशोधन सुझाये गये हैं और तलपट मानचित्र वापस किया जा चुका है। अतएव प्रस्तावित संशोधनों का विचार करते हुए तलपट मानचित्र अन्तिम रूप से तैयार कर लिया जाये। योजना के प्रथम चरण में भूमि के विकास तथा आर्थिक दृष्टि से पिछडे आय वर्ग के आवासों के निर्माण के लिये यथोचित ऋण की माँग शासन से की जाये।

(घ) जवाहर क्वाटर्स, हापुड रोड एवं बेगम बाग आवासीय योजना

इन योजनाओं के लिये भूमि अर्जन की कार्यवाही पर हाईकोर्ट द्वारा लगाये गयी रोक को शीघ्र समाप्त करने के लिये यथोचित कार्यवाही की जाये।

(च) विकास भवन निर्माण योजना

अभी तक एक ब्लॉक की केवल दो मंजिलें बनकर तैयार हुई हैं। कार्यालयों के पंजीकरण हेतु पुनः प्रचार किया जाये और इसमें यह भी स्पष्ट कर दिया जाये कि आवासीय भवनों का कार्यालय भवन की तरह उपयोग नियमानुकूल नहीं है और ऐसे मामलों में भवन स्वामी के विरुद्ध दण्ड की कार्यवाही की जायेगी। आशा है कि इस प्रचार से बहुत से आवेदन कार्यालयों के लिये प्राप्त हो सकेंगे।

(छ) नौचन्दी स्थल आवासीय योजना

उपाध्यक्ष ने बताया कि इस योजना के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि नौचन्दी मेले के अन्तर्गत आती है। अतः इस भूमि का अर्जन इस परम्परागत एवं प्राचीन मेले के हित के विपरीत होगा। सचिव ने स्पष्ट किया कि महायोजना में इस भूमि का उपयोग आवासीय योजना के स्थान पर मेले के लिये जारी रखना है तो इसका भूउपयोग बदलवाना पड़ेगा। अन्त में यह निर्णय लिया गया कि नौचन्दी मेले की आवश्यकता को देखते हुए इस विषय पर पुनः विचार कर लिया जाये।

(ज) मलिन बस्ती पर्यावरण सुधार योजना

वरिष्ठ नगर एंव ग्राम नियोजक ने बताया कि शासन स्तर पर यह निर्णय ले लिया गया है कि मलिन बस्ती पर्यावरण सुधार का कार्य प्राधिकरण के माध्यम से न कराया जाये बल्कि नगरपालिका के माध्यम से कराया जाये। यह निर्देश दिया गया कि यदि इस प्रकार का कोई शासनादेश है, तो उसकी प्रति प्राप्त की जाये और शासन से यह अनुरोध किया जाये कि जो योजनाये प्राधिकरण ने तैयार की हैं, उनके आधार पर नगरपालिका, मेरठ को अनुदान दे दिया जाये ताकि मलिन बस्तियों का सुधार हो सकें।

(3) अनाधिकृत निर्माणों के विरुद्ध की गई कार्यवाही

कुल 617 भवनों को गिराने के आदेश हो चुके हैं जिनमें से 395 हाल ही में नियमित की गई कालोनियों से संबंधित हैं जिन्हें अपने निर्माणों को प्रशमित कराने तथा मानचित्र स्वीकृत कराने का अवसर दिया जा रहा है। शेष 222 मकान पुरानी आबादी में स्थित हैं। इनमें से 97 भवन गिराये जा चुके हैं। यह निर्देश दिया गया है कि होली के बाद शेष अनाधिकृत निर्माणों को गिराने का कार्य पुनः आरम्भ किया जाये। अनाधिकृत निर्माण हटाने का काम अभी बहुत शेष है जिसे तेजी से अभियान चला कर किया जाये।

(6) विभिन्न उपविधियों की स्वीकृति

उप-विधियाँ शासन से शीघ्र स्वीकृत कराने के लिये कार्यवाही की जाये। शासन के यहाँ ये बड़े अरसे से विचाराधीन पड़ी हुई हैं।

(7) महायोजना में हरित पट्टी को विकसित करने एवं मार्गों को हरा-भरा रखने पर विचार

हरित पट्टी वाली भूमि पर प्रचार पट्ट लगाये जायें ताकि भू-स्वामियों को हरित पट्टी वाली भूमि के उपयोग के सम्बन्ध में बराबर जानकारी बनी रहे। सिनेमा-स्लाईड के द्वारा भी प्रचार किया जाये जो जिला मजिस्ट्रेट के माध्यम से निःशुल्क प्रदर्शित कराये जा सके हैं।

मद संख्या-3

नियमित की गयी कालोनियों के भूउपयोग में परिवर्तन

इस बिषय पर विस्तारपूर्वक विचार-विमर्श किया गया। प्राधिकरण द्वारा पूर्व में किये गये निर्णय के अनुसार अनाधिकृत कालोनियों के नियमन की कार्यवाही की गयी। नियमन के योग्य पायी गयी जिन 65 कालोनियों का नियमन हो चुका है, उनमें से 40 कालोनियाँ महायोजना में निर्धारित भूउपयोग के विरुद्ध

विकसित हुई हैं। महायोजना में इन स्थलों का उपयोग व्यवसायिक, ऐतिहासिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक, औद्योगिक, शैक्षिक, हरित पट्टी इत्यादि हैं, जबकि इन कालोनियों के नियमन के उपरान्त इनके भू-उपयोग आवासीय होने चाहिए। अतएव शासन से संस्तुति की जाती है कि इन कालोनियों से घिरे हुए भू-भाग का भू-उपयोग आवासीय उपयोग में परिवर्तित किया जाये।

मद संख्या-4

महायोजना में प्रस्तावित सड़कों की चौड़ाई के भीतर पड़ने वाले भूखण्ड क्षेत्रफल पर विकास व्यय की छूट

अध्यक्ष के आदेश दिनांक 2-10-81 का अनुमोदन किया गया तथा यह निर्णय किया गया कि प्रस्तावित महायोजना मार्ग की चौड़ाई में आने वाले क्षेत्रफल पर न तो निर्माण की अनुमति प्रदान की जायेगी और न ही विकास व्यय लिया जायेगा। किन्तु इस क्षेत्रफल पर 5 फुट ऊँची चाहरदीवारी बनाने की अनुमति इस शर्त के साथ दी जा सकती है कि सड़क चौड़ा करने के समय भू-स्वामी प्रतिकर नहीं लेगा।

मद संख्या-5

गढ रोड एवं परीक्षित गढ रोड को मिलाने के लिये महायोजना में प्रस्तावित 120 फुट चौड़े मार्ग के निर्माण के लिये भूमि के अधिग्रहण की अनुमति।

सचिव द्वारा दी गयी टिप्पणी पर विचार किया गया और यह निर्णय किया गया कि गढ रोड तथा परीक्षित गढ रोड को मिलाने के लिये महायोजना में प्रस्तावित 120 फुट चौड़े मार्ग के निर्माण के लिये भूमि का अधिग्रहण किया जाये। यह भी निर्णय किया गया कि सड़क की चौड़ाई से मिली हुई जो खाली भूमि उपलब्ध हो, उसका भी अधिग्रहण कर लिया जाये ताकि उसका व्यवसायिक उपयोग किया जा सके।

मद संख्या-6

महायोजना के अन्तर्गत क्षेत्रीय विकास योजनायें तैयार करने एवं इस प्रक्रिया के दौरान महायोजना में आवश्यक संशोधन करने के लिये पृथक प्रकोष्ठ की स्थापना

सचिव द्वारा दी गयी टिप्पणी पर विचार किया गया। वरिष्ठ नगर एवं ग्राम नियोजक की ओर से यह अभ्युक्ति की गयी कि विकास योजनायें तैयार करने के लिये जो प्रकोष्ठ प्रस्तावित किया गया है उसमें सर्वेक्षण कार्य के लिये आवश्यक कर्मचारियों का समावेश नहीं किया गया है जबकि बिना सर्वेक्षण के ये योजनायें तैयार हो ही नहीं सकतीं। विस्तृत चर्चा के बाद यह निर्णय किया गया कि सर्वेक्षण तथा नियोजन दोनों आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये एक प्रकोष्ठ स्थापित किया जायेगा जिसमें निम्नलिखित कर्मचारी होंगे :-

- 1- सहायक नगर नियोजक अथवा सहायक अभियन्ता -1
- 2- अवर अभियन्ता -2
- 3- लेखपाल/सर्वेअर -2
- 4- ड्राफ्टसमैन -1

प्राधिकरण की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, जिससे इस प्रकोष्ठ पर होने वाले व्यय का भार प्राधिकरण सहन नहीं कर सकेगा और इसके महत्व को देखते हुए इस कार्य की उपेक्षा भी नहीं की जा सकती। अतः यह भी निर्णय किया गया कि इस व्यय के लिये शासन से अनुदान की माँग की जाये। यह निर्देश भी दिये गये कि जब तक शासन की सहायता प्राप्त न हो तब तक सर्वेक्षण कार्य के लिये वर्तमान सहायक अभियन्ता एवं अवर अभियन्ताओं से ही काम लिया जाये।

मद संख्या-7

भूमिया पुल आवासीय योजना के लिये हड्डको से ऋण लेने की अनुमति

सचिव द्वारा दी गयी टिप्पणी पर विचार किया गया । चर्चा के उपरान्त सर्व सम्मति से निम्न संकल्प पारित किया गया -

“संकल्प किया गया कि भूमिया पुल आवासीय योजना के अन्तर्गत 39 लघु मध्यम आय वर्ग तथा 78 अल्प आय वर्ग के तीन मंजिले आवासीय भवनों के निर्माण के लिये 17.96 लाख का ऋण हड्डको, नई दिल्ली से निर्धारित दरों एवं शर्तों पर प्राप्त करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा शासन से अनुरोध किया जाता है कि उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम की धारा - 20(5) में अपेक्षित अनुमोदन प्रदान करें ।”

“यह भी संकल्प किया कि मेरठ विकास प्राधिकरण उक्त ऋण ब्याज सहित हड्डको, नई दिल्ली को वापस करने हेतु बचनबद्ध हैं तथा इसके लिये पंजाब नेशनल बैंक अथवा अन्य राष्ट्रीयकृत बैंक से हड्डको को उक्त उद्देश्य के लिये गारन्टी दिलाने की स्वीकृति प्रदान की जाती हैं तथा मेरठ विकास प्राधिकरण की ओर से सचिव को बैंक दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने तथा प्राधिकरण की सील लगाने का अधिकार प्रदान किया जाता है ।

यह भी संकल्प किया कि विकास प्राधिकरण मेरठ इस संबंध में आवश्यक अनुबन्ध हड्डको, नई दिल्ली से करें और उसकी ओर से अनुबन्ध पर हस्ताक्षर करने तथा विकास प्राधिकरण मेरठ की सील का उपयोग करने के लिये सचिव को अधिकृत किया जाता है ।

मद संख्या ८

विकास भवन योजना के लिये बैंक से ऋण प्राप्त कराने की स्वीकृति

सचिव द्वारा तैयार की गई टिप्पणी पर विचार किया गया । विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से निम्नलिखित संकल्प पारित किया गया ।

“संकल्प किया कि विकास भवन निर्माण योजना के अन्तर्गत ४ मंजिल कार्यालय भवन निर्माण करने के लिये रुपये १२ लाख का ऋण सिंडीकेट बैंक अथवा अन्य राष्ट्रीयकृत बैंक से तय की गई दरों एवं शर्तों पर प्राप्त करने की स्वीकृति प्रदान की जाती हैं तथा शासन से अनुरोध किया जाता हैं कि उ०प्र० नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम की धारा २०(५) के अन्तर्गत अपेक्षित अनुमोदन प्रदान करें ।”

“यह भी संकल्प किया कि विकास प्राधिकरण मेरठ उक्त ऋण व्याज सहित सिंडीकेट बैंक अथवा अन्य राष्ट्रीयकृत बैंक को वापस करने के लिये वचनबन्ध हैं तथा इसके लिये राष्ट्रीयकृत बैंक के लिये राज्य सरकार की गारन्टी प्राप्त करने अथवा प्रस्तावित भवन बन्धक के रूप में रखने की स्वीकृति प्रदान की जाती हैं ।”

मद संख्या - ९

इलैक्ट्रा इण्डिया लि० द्वारा प्रस्तावित ग्राम कुण्डा में फैक्ट्री से लगी हुई भूमि के भू उपयोग में परिवर्तन ।

इस विषय पर विचार किया गया । इलैक्ट्रा इण्डिया लि० ने जिस भूमि का उपयोग ट्रूक टर्मिनल से औद्योगिक उपयोग में बदलने का अनुरोध किया हैं उसकी स्थिति महायोजना क्षेत्र के बड़े मानचित्र पर भी देखी गई । अपनी फैक्ट्री के विस्तार के लिये इलैक्ट्रा इण्डिया लि० ने कुल मिलाकर १०,८१४ वर्गगज क्षेत्रफल को अर्जित करने का अनुरोध जिला भूमि अध्यापित अधिकारी के पास भेजा है । इसमें से ५६७१ वर्गगज का उपयोग औद्योगिक (एम-३), २८७५ वर्गगज का उपयोग ट्रूक

टर्मिनल(टी-4) तथा शेष 2268 वर्गगज सड़क की चौडाई में पड़ता है। यह अनुभव किया गया कि यदि टी-4 उपयोग में आने वाले उक्त क्षेत्रफल का भू-उपयोग परिवर्तित कर दिया जायेगा तो वर्तमान “टी” जोन के क्षेत्र के लिये मेरठ दिल्ली रोड से रास्ता प्राप्त नहीं हो सकेगा। ऐसी स्थिति में यह आवश्यक है कि “टी” जोन वाले क्षेत्र तथा उसके निकटवर्ती क्षेत्र का जोन डबलपर्मेन्ट प्लान तैयार किया जाये तथा इस प्लान की शासन से स्वीकृति प्राप्त की जाये।

मद संख्या-10

मेरठ रुड़की मार्ग पर पी०ए०सी० क्षेत्र तथा मोदीपुरम क्षेत्र के मध्यवर्ती भूमि का भू-उपयोग परिवर्तन

इस विषय पर विस्तारपूर्वक विचार किया गया। यह अनुभव किया गया कि मोदीपुरम में स्थापित उद्योग तथा पी०ए०सी० बटालियन का मुख्यालय स्थापित हो जाने के कारण इस क्षेत्र का स्वरूप बदल गया है। मोदीपुरम उद्योग के सामने रुड़की जाने वाले मार्ग की पूर्व की ओर प्राधिकरण एक वृहद आवासीय योजना क्रियान्वित करने जा रहा है जिसकी वजह से केन्टोमेन्ट एरिया तथा मोदीपुरम उद्योग एवं उक्त आवासीय योजना के बीच वाली भूमि का वर्तमान भूउपयोग जो कृषक हरित पट्टी है, बनाये रखना सम्भव न होगा। अतः यह निर्णय किया गया कि इस समस्त क्षेत्र का जोनल डबलपर्मेन्ट प्लान तैयार किया जाये तथा शासन से उसकी स्वीकृति प्राप्त की जाये।

मद संख्या-11

मेरठ सरधना मार्ग पर आवासीय योजना के लिये 360 एकड़ भूमि का अर्जन एवं 90 एकड़ सीलिंग भूमि का राज्य सरकार से हस्तान्तरण।

सचिव द्वारा दी गयी टिप्पणी पर विचार किया गया। सम्यक विचार के उपरान्त यह निर्णय किया गया कि मेरठ सरधना मार्ग पर आवासीय योजना के

लिये महायोजना में निर्धारित भू-उपयोग के अनुसार 360 एकड़ भूमि के अधिग्रहण तथा 90 एकड़ भूमि जो सीलिंग के अन्तर्गत अतिरिक्त घोषित हो चुकी है, के राज्य सरकार से हस्तान्तरण की कार्यवाही की जाये। यह भी निर्णय किया गया कि सीलिंग भूमि का उपयोग केवल आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग एवं अल्प आय वर्ग के लिये ही किया जाये।

मद संख्या - 12

मेरठ बागपत मार्ग पर मलियाना के निकट 9 एकड़ सीलिंग भूमि का राज्य सरकार से हस्तान्तरण

सचिव द्वारा प्रस्तुत टिप्पणी पर विचार किया गया। विचार-विमर्श के उपरान्त यह निर्णय किया गया कि महायोजना में निर्दिष्ट भू-उपयोग के अनुसार मेरठ बागपत मार्ग पर ग्राम मलियाना की 9 एकड़ भूमि जो सीलिंग कानून के अन्तर्गत अतिरिक्त घोषित की हो चुकी है, के राज्य सरकार से हस्तान्तरण कराने की कार्यवाही की जाये। यह भी निर्देश दिया गया कि इस भूमि के लिये जो आवासीय योजना तैयार की जायेगी, वह आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग तथा अल्प आय वर्ग के लिये ही होगी।

मद संख्या-13

सूरज कुण्ड को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की योजना की स्वीकृति

सचिव द्वारा प्रस्तुत टिप्पणी पर विचार किया गया तथा इस बिषय पर उपाध्यक्ष द्वारा गठित समिति की संस्तुतियों पर भी विचार किया गया। विचार-विमर्श के उपरान्त सूरज कुण्ड को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिये समिति द्वारा बनाया गया कार्यक्रम स्वीकृत किया गया। यह भी निर्देश दिया गया कि पार्क का विकास प्रथम चरण में ही कर लिया जाये। यह भी निर्णय किया गया

कि निजी प्रतिष्ठानों/संस्थाओं से सम्पर्क करके कुछ कार्य करा लिये जायें ताकि प्राधिकरण को सम्पूर्ण कार्यक्रम कार्यान्वित करने में धन की कमी न रहे।

मद संख्या -14

निर्माण कार्यों की प्रगति

विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत की गयी प्रगति की समीक्षा की गयी। मोहनपुरी आवासीय योजना में पंजीकरण हो चुका है। इस पंजीकरण से रुपये 6,35,900/- प्राप्त हुए। विकास कार्य आरम्भ कर दिया गया है। 1.5 लाख रुपये मिट्टी की भराई पर खर्च हो चुके हैं तथा राज्य सरकार से ऋण की माँग की गयी है। भूमियापुल आवासीय योजना में भूमि चौरस करने, बाटर एवं सीवर लाईन डालने तथा 3 पुलियों के निर्माण का कार्य पूरा हो चुका है। आवासीय भवनों का निर्माण भी शुरू हो गया है। इस कार्य में पंजीकरण से प्राप्त आय में से 3.98 लाख रुपये खर्च हो चुके हैं। “हडको” से ऋण स्वीकृति होनी है। विकास भवन में प्रथम भवन की दो मंजिलों का निर्माण हो चुका है जिस पर 12.50 लाख रुपये खर्च हो चुके हैं रुडकी विश्वविद्यालय से परामर्श माँगा गया है। शेष निर्माण परामर्श प्राप्त होने के बाद ही आरम्भ किया जायगा। सिंडीकेट बैंक से इस भवन के लिये एक करोड़ बाईस लाख रुपये का ऋण माँगा गया है। यह निर्देश दिया गया कि इन कार्यों को शीघ्रतापूर्वक पूरा किया जाये।

मद संख्या - 15

महावीर चक्रधारी, मेजर एस० डी० गोस्वामी को मानचित्र शुल्क तथा विकास व्यय में छूट देने की प्राथना

सचिव द्वारा तैयार की गई टिप्पणी एंव मेजर एस० डी० गोस्वामी द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्र पर विचार किया गया तथा मानचित्र शुल्क एंव विकास व्यय से संबद्ध प्राविधान भी देखे गये। यह अनुभव किया गया कि मानचित्र शुल्क तथा विकास व्यय से संबंधित उपनियम एंव उ० प० नगर नियोजन एंव विकास

अधिनियम तथा आर०बी० ओ० एकट के प्राविधानों के अनुसार मानचित्र शुल्क अथवा विकास व्यय में छूट प्रदान करने का अधिकार प्राधिकरण को प्राप्त नहीं है। साथ ही यह भी अनुभव किया गया कि मेजर एस० डी० गोस्वामी द्वारा देश की सुरक्षा के लिये की गई अमूल्य सेवाओं को देखते हुए उनसे उक्त शुल्क एवं व्यय लेना उचित न होगा, विशेष रूप से तब जबकि इन्हीं सेवाओं के कारण भारत सरकार ने उनके पुनर्वास के लिये कुकिंग गैस एजेन्सी स्वीकृत की है और राज्य सरकार ने इस एजेन्सी के लिये नजूल भूमि प्रदान की है। अतः यह संस्तुति की जाती है कि राज्य सरकार मानचित्र शुल्क एवं विकास व्यय के प्रतिबन्धों से मेजर गोस्वामी को पूर्ण छूट प्रदान करें। यह भी निर्णय किया गया कि मेजर गोस्वामी द्वारा प्रस्तुत भवन मानचित्र इस आशय का प्रतिज्ञा पत्र लेकर स्वीकृत कर दिया जाये कि यदि राज्य सरकार ने उक्त छूट प्रदान नहीं की, तब वे पूर्ण मानचित्र शुल्क एवं विकास व्यय प्राधिकरण को भुगतान करने के लिये उत्तरदायी होंगे।

मद संख्या-16

संशोधित बजट बर्ष 81-82 तथा मूल बजट बर्ष 82-83 की स्वीकृति

पटल पर प्रस्तुत किये गये वित्तीय बर्ष 81-82 के संशोधित बजट तथा वित्तीय बर्ष 82-83 के प्रस्तावित बजट पर विचार किया गया। विस्तारपूर्वक विचार करने के उपरान्त बर्ष 81-82 का संशोधित बजट तथा 82-83 का प्रस्तावित बजट यथावत स्वीकृत किया गया।

मद संख्या-17

अन्य विषय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से
शून्य

मरठ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 23-3-2022

अध्यक्ष द्वारा उपस्थित सदस्यों को धन्यवाद देते हुए बैठक समाप्त की गयी ।

पुष्टि की गयी ।

ह०/-

सचिव

ह०/-

अध्यक्ष,

२- श्री रामलक्ष्मी

मेरठ विकास प्राधिकरण

३- श्री जगदेव माहात्म्य

मेरठ ।

४- श्री लक्ष्मी लक्ष्मी

५- श्री अमृता कुमारी

६- श्री रामलक्ष्मी

७- श्री रामलक्ष्मी

८- श्री रामलक्ष्मी

मेरठ विकास प्राधिकरण के द्वारा आयोजित बैठक अधिविषय

१- श्री लक्ष्मी लक्ष्मी

मेरठ विकास प्राधिकरण

२- श्री रामलक्ष्मी

मेरठ विकास प्राधिकरण

३- श्री रामलक्ष्मी

मेरठ विकास प्राधिकरण

४- श्री श्री रामलक्ष्मी

मेरठ विकास प्राधिकरण

कार्यकारी कार्यविवरण ।

मरठ संस्कृता -1

प्रियली बैठक दिनांक 23-3-2022 की कार्यकारी की पुस्तक ।

मरठ विकास प्राधिकरण के द्वारा आयोजित बैठक की कार्यकारी